न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 72/2023

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स ए के फूड पोइट
दरगाह क्षेत्र अजमेर
(श्री शेख कमाल पुत्र श्री शेख किताबुददीन)
निवासी पीरो का चौक दरगाह क्षेत्र अजमेर

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक 11.10.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.01.2023 को उर्स मेला के तहत घरेलू गेस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल मैसर्स ए के फूड पोइट दरगाह क्षेत्र अजमेर पर पहुँचे दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नही किए ।

दुकान पर घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने की पुष्टि हुई। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया । मौके पर घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर श्री कालू खां पुत्र श्री बिट्‌टू खां कार्मिक मेसर्स गुलाब गैस एजेन्सी वैशाली नगर अजमेर को बुलवा कर कांटे से वनज करवाने पर सिलेण्डर को सुपुर्द किया गया जिसका विवरण निम्नुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	02187	IOC	15.9	30	14.1	–
2	328516	BPCL	15.6	29-5	13.9	–
3	092637	BPCL	15.7	30	14.3	–
4	294140	BPCL	15-8	15.8	0	–
5	770146	IOC	15.1	15.1	0	–
6	016516	BPCL (ND)	8.1	8.1	0	–
7	150316	BPCL	8.3	8.3	0	–

जिला कलक्टर
अजमेर

		(ND)				
8	108821	BPCL (ND)	8.1	8.1	0	–
9	6 अप्रमाणित छोटे बिना आई एस आई कम्पनी मार्क एक प्लास्टिक पाईप मय गैस भरने की जुगाड					

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा दो घरेलू सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पेरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अप्रार्थी उर्स मेला के दौरान अजमेर आए थे जो मेला समाप्ति पश्चात चले जाने से मूल पते की जानकारी नही होने के कारण प्रकरण में सुनवाई हेतु निवेदन किए जाने पर पेरोकार सरकार को सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 06.01.2023 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 8 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 6 अप्रमाणित सिलेण्डर, एकप्लास्टिक पाईप मय गेस गैस भरने की जुगाड को राजसात फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 8 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 6 अप्रमाणित सिलेण्डर, एकप्लास्टिक पाईप मय गेस गैस भरने की जुगाड गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ! अप्रमाणित गैस सिलेण्डर का नियमानुसार जिला रसद अधिकारी निस्तारण करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर